

न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

मंगतराम आहुजा पुत्र श्री जट्टूराम जरिए मु.आम राजेश आहुजा बनाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र

किस्म मुकदमा : विविध बैंक
अधिवक्ता श्री

प्रकरण संख्या : 17/2018

RCMS : 2018/00021



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
09.01.18	<p>मंगतराम पुत्र श्री जट्टूराम जरिए मुख्याराम राजेश आहुजा उपस्थित हुए, उनके रिब्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.18 पर सुना गया।</p> <p>प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रार्थी ऋणी मैसर्स मंगतराय एण्ड संस प्रो. श्री मंगतरामय पुत्र श्री जट्टू राम आहुजा निवासी 50 तह बाजार, श्रीगंगानगर निवासी 316 व 317 वार्ड नं 1 गली नं 09 इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 20,00,000/- रुपये (अखरे रुपये बीस लाख मात्र) ऋण दिनांक 05.01.2012 को स्वीकृत किया गया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थीया गारंटर श्रीमती आशारानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी 316 व 317 वार्ड नं 18 गली नं 09 इन्दिरा कॉलोनी श्रीगंगानगर ने अपनी रिहायशी सम्पत्ति मकान नं 316 व 317 वार्ड न. 18 गली नं 09 इन्दिरा कॉलोनी श्रीगंगानगर को अप्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी ऋणी श्री मंगतराय द्वारा ऋण एवं ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.06.2016 को एनपीए होने के कारण, प्रार्थी ऋणी श्री मंगतराय की ओर से दिनांक 01.08.2015 तक ऋण राशि 18,45,986.99/- रुपये एवं आगे का ब्याज तथा अन्य खर्च बकाया बताकर धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थीगण ऋणी / गारंटर को 60 दिवस का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 05.07.16 को जारी किया गया एवं नोटिस प्राप्ति के बाद राशि जमा न होना बताकर प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 79/2017 बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मै. मंगतराय एण्ड संस के में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.2017 से प्रार्थीगण को मकान नं 316 व 317 वार्ड नं 18 गली नं 09 इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर के भौतिक कब्जा प्राप्त करने के आदेश प्राप्त कर लिया जबकि ऋण राशि के पेटे उसके द्वारा भिन्न-2 तिथियों को ऋण राशि जमा करवाई गई थी और दिनांक 30.11.17 को</p>	

राजेश
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी ऋणी के जिम्मे राशि 14,41,381/- रुपये बकाया थे, इस प्रकार बैंक द्वारा गलत तथ्य पेश कर आदेश दिनांक 28.11.2017 प्राप्त किया है। इसलिए इस पर पुर्नविचार किया जये और निरस्त किया जावे। उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक के विरुद्ध डी.आर.टी., जयपुर में एक अपील भी प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन है और उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी ऋणी को बिना सुने ही 28.11.2017 का आदेश पारित किया गया है। इसलिए उक्त आदेश निरस्त किया जावे।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया और प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र व साथ संलग्न दस्तावेज एवं इस न्यायालय प्रकरण संख्या 79/2017 के निर्णय दिनांक 28.11.2017 का अवलोकन किया, जिसके द्वारा निम्न आदेश दिया गया था।

प्रार्थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा, श्रीगंगानगर जरिए प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंचल कार्यालय, जयपुर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीया गारन्ट श्रीमती आशा रानी पत्नि श्री मंगतराय निवासी 316 व 317 वार्ड नं 18, गली नं 09, इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बधक रखी गई सम्पत्ति मकान नं 316 व 317 वार्ड नं 18 गली नं 09 इन्दिरा कॉलोनी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिए पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाये। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ह0 (ज्ञानाराम)

शान्ति
जिला मार्जस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम में जबकि रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है तो क्या ऐसी अवस्था में प्रार्थी ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2018 रिव्यू के रूप में सुनवाई करने के लिए ग्रहण करने योग्य अथवा नहीं? इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत AIR 2010 SUPREME COURT 3745 KALABHARATI ADVERTISING VS HEMANT VIMALNATH NARICHANIA AND ORS. अवलोकनीय है जिसके पैरा 11 से 14 तक में निम्न प्रकार से तय किया गया है :

11. We have considered the rival submissions made by both the parties and perused the record.

LEGAL ISSUES

Review in absence of statutory provisions :

12. It is settled legal proposition that unless the statute/rules so permit, the review application is not maintainable in case of judicial/ quasi -judicial orders. In absence of any provision in the act granting an express power of review, it is manifest that a review could not be made and the order in review, if passed is ultra vires, illegal and without jurisdiction. (vide: Patel Chunibhai Dajibha V. Narayanrao Khanderao Jambekar & Anr.] AIR. 1965 SC 1457 and Harbhajan Singh V. Karam singh & Ors., AIR 1966 SC 641)

13. In Patel Narshi Thakershi & Ors. V Shri Pradyuman Singhji Arjun Singhji, AIR 1970 SC 1273, Maj. Chandra Bhan Singh V. Latafat Ullah Khan & Ors., AIR 1978 SC 1814, Dr. Smt. Kutesh Gupta V. Management of Hindu Kanya Mahavidhyalaya, Sitapur (U.P.) & Ors., AIR 1987 SC 2186, State of Orissa & Ors. V. Commissioner of Land Records and Settlement , Cuttack & Ors., (1998) 7SCC 162: (AIR 1998 SC 3067 : 1998 AIR SCW 2975), and Sunita Jain V. Pawan Kamar Jain & Ors., (2008) 2 SCC 705, this court held that the power to review is not an inherent power. It must be conferred by law either expressly/specifically or by necessary implication and in absence of any provision in the Act/Rules, review of an earlier order is impermissible as review is a creation of statute. Jurisdiction of review can be derived only from the statute and thus, any order of review in absence of any statutory provision for the same is nullity being without jurisdiction.

14. Therefore, in view of the above, the law on the point can be summarised to the effect that in absence of any statutory provision providing for review , entertaining an application for review or under the garb of clarification/modification/ correction is not permissible.

21/11/18
जिला मजिस्ट्रेट

चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2018 हस्तगत प्रकरण वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रकरण संख्या 79/2017 बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरिए प्राधिकृत अधिकारी बनाम मै. मंगतराम एंड संस वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 को रिव्यू करने के सम्बन्ध में है जबकि उक्त अधिनियम 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम में केवल अपील के प्रावधान है, रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त AIR 2010 SUPREME COURT 3745 KALABHARATI ADVERTISING VS HEMANT VIMALNATH NARICHANIA AND ORS के अनुसार रिव्यू हेतु संबंधित अधिनियम में प्रावधान होने पर ही रिव्यू हो सकता है अन्यथा नहीं।

चूंकि उक्त अधिनियम 2002 में रिव्यू करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरुद्ध प्रार्थी मंगतराम आहुजा द्वारा प्रस्तुत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2018 सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए खारिज किया जाता है। पत्रावाली बाद तरतीब तकमील दाखित दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री मंगानगर